



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082025-265246
CG-DL-E-06082025-265246

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 492]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2025/श्रावण 15, 1947

No. 492]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2025/SHRAVANA 15, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2025

सं. 27/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 535(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और होन्ग कोंग (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'वोवन फैब्रिक (जिसमें फ्लेक्स अव्यय की मात्रा 50% से अधिक हो) जिसे सामान्यतया "फ्लेक्स फैब्रिक" (एतदपश्चात जिन्हें विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) के नाम से जाना जाता है, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतदपश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 5309 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 35/2020-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 नवम्बर, 2020, जिसे सा.का.नि. 697(अ), दिनांक 10 नवम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण)

नियमावली, 1995 (एतदपश्चात् जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/05/2025-डीजीटीआर, दिनांक 29 मार्च 2025, जिसे दिनांक 1 अप्रैल 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपादन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 35/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 नवम्बर, 2020, जिसे सा.का.नि. 697(अ), दिनांक 10 नवम्बर, 2020, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, इसमें निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

2. उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित अनुच्छेद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपादन शुल्क दिनांक 9 फरवरी, 2026 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है, लागू रहेगा।”

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/28/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 35/2020-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 नवम्बर, 2020, जिसे सा.का.नि. 697(अ) दिनांक 10 नवम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2025

No. 27/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 535(E).— Whereas, the designated authority, *vide* initiation notification No. 7/05/2025-DGTR, dated 29th March 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 1st April 2025, had initiated a review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘Woven Fabric (having more than 50% Flax content) commonly known as “Flax Fabric”’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under sub-heading 5309 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR and Hong Kong (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 35/2020-Customs (ADD), dated the 10th November, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 697(E), dated the 10th November, 2020, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 35/2020-Customs (ADD), dated 10th November, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 697(E), dated the 10th November, 2020, namely:-

2. In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely-

- “3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 9th February, 2026, unless revoked, superseded or amended earlier.”.

[F. No. CBIC-190349/28/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 35/2020-Customs (ADD), dated the 10th November, 2020, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) number G.S.R. 697(E), dated the 10th November, 2020.